

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभभवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मई 2023।

क्रमांक-221/R-1328741/2023/साठ प्रदेश मे मध्यप्रदेश विकेन्द्रीकृत नवकरणीय ऊर्जा नीति, 2016 मे मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की सिफारिशो को आधार पर, एतद् द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-414, दिनांक 04 अक्टूबर 2016 में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं-

1. कंडिका 6.3 "यह नीति ऐसे समस्त नवकरणीय ऊर्जा हितग्राहियो को लागू होगी, जो म.प्र.वि.नि. आ. विनियम के अधीन, कंडिका 1.9 मे परिभाषित किये गये अनुसार अधिकतम 2 मेगावाट क्षमता तक की ऑफ-ग्रिड अथवा ग्रिड संयोजित नवकरणीय ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना अपने परिसरो मे करें।"

उक्त कंडिका के स्थान पर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाये-

कंडिका 6.3 "यह नीति ऐसे समस्त नवकरणीय ऊर्जा हितग्राहियो को लागू होगी, जो म.प्र.वि.नि. आ. विनियम के अधीन, कंडिका 1.9 में परिभाषित किये गये अनुसार अधिकतम 2 मेगावाट डी. सी. क्षमता तक की ऑफ-ग्रिड अथवा ग्रिड संयोजित नवकरणीय ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना अपने परिसरो मे करें।"

2. Clause 6.3 "The policy shall be applicable to all RE Beneficiaries, in whose Premises off-grid or grid connected RE System are installed, as defined in para 1.9, up to capacity of 2MW of RE system, subject to MPERC Regulations in this regard.

Above Clause would be replaced as below:

Clause 6.3 "The policy shall be applicable to all RE Beneficiaries, in whose Premises off-grid or grid connected RE System are installed, as defined in para 1.9, up to capacity of 2MWDCof RE system, subject to MPERC Regulations in this regard.

यह संशोधन इस आदेश के जारी होने के तिथि से लागू होगा। This Amendment would be applicable from the date of issue of this order.


अवर सचिव

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग,
मध्य प्रदेश शासन